

नोट- मूल परिचय-पत्र देखने के बाद ही आवेदन पंजीबद्ध किया जावे

विवाह सहायता हेतु आवेदन सह आदेश-पत्र

1. पंजीयन क्रमांक
2. आवेदिका का नाम
3. पिता का नाम
4. आवेदिका की आयु
5. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता
6. विवाह हेतु प्रस्तावित माह
7. (अ) वर का नाम
- (ब) वर के पिता का नाम
- (स) वर की आयु
- (द) वर के पत्र व्यवहार का पता



8. घोषणा- मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। असत्य पाये जाने की दशा में राशि वापस करने का बंधन देता हूँ। उपरोक्त के लिए मुझे किसी अन्य विभाग से सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

आवेदक के हस्ताक्षर

आदेश

जांचोपरांत उपरोक्त विवरण सही पाए जाने/सही न पाए जाने के कारण आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति की दशा में राशि रुपये बैंक का नाम..... द्वारा श्री को भुगतान किया गया।

स्थान :
दिनांक :

स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

पावती

राशि रुपये प्राप्त किए गए।

दिनांक

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पूरा नाम

दिनांक

पता

स्वीकृतकर्ता अधिकारी कृपया ध्यान दें :-

1. इस योजना का लाभ अब 5 से अधिक महिलाओं के सामूहिक विवाह के आयोजन पर देय होगा।
2. परिचय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जावे। मूल परिचय-पत्र देखकर लौटा दिया जाना चाहिए तथा परिचय पत्र की छाया प्रति की मॉग नहीं की जानी चाहिए। आवेदक द्वारा दशादि विवरण की स्थल जाँच कर भुष्टि हो जाने के पश्चात् ही सहायता राशि स्वीकृत की जाए।
3. यदि पंजीबद्ध श्रमिक के परिवार को शासन के अन्य किसी विभाग/योजना के अंतर्गत भी सहायता की पात्रता है तो पंजीबद्ध श्रमिक के लिए यह विकल्प होगा कि दोनों में से जहाँ बेहतर सुविधा मिल रही है उसका बंधन वह कर सकेगा। किन्तु एक ही प्रकार का लाभ एक से अधिक स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।